

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक-4860/14-1 (FP/UP/Road /40150/2019), दिनांक मुजफ्फरनगर, 25/6.2022 ।
सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
आसना रेलवे पुल के नीचे
गाजियाबाद ।

Email- executiveernhpwd@gmail.com

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी-लक्सर मार्ग(रा0मा0सं0 -334ए) के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.6 हे0 आरक्षित वन भूमि, कुल-0.93 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक में 269 बाधक वृक्षों के पातन का प्रस्ताव ।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या-8वी0/यू0पी0 /06/24/2021/ एफ0सी0/52 दिनांक-29.04.2022, इस कार्यालय के पत्रांक-4405/ 14-1 (FP/UP/Road /40150/2019) दिनांक-19.05.2022 एवं अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद का पत्रांक-867/IV दिनांक-10.06.2022 ।

जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी-लक्सर मार्ग(रा0मा0सं0 -334ए) के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल -0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 59 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव नियमानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया । प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-29.04.2022 द्वारा विषयक प्रस्ताव में कतिपय आपत्ति / अभिलेखों की वांछना की गयी है, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-29.04.2022 के क्रम में अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद के संदर्भित पत्र दिनांक-10.06.2022 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी-लक्सर मार्ग(रा0मा0सं0 -334ए) के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.6 हे0 आरक्षित वन भूमि, कुल-0.93 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक में 269 बाधक वृक्षों के पातन का संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया ।

आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा 0.93 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग से संबंधित विषयक प्रस्ताव का गहनता से परीक्षण किया गया, परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में निम्नानुसार त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता होगी-

1- प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है । कृपया इसे संलग्न करायें ।

2-प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या एवं अभिलेखों की संलग्नक संख्या अंकित नहीं की गयी है ।

3-विषय सूची संलग्न नहीं है ।

4-परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर के साथ में हस्ताक्षर का दिनांक अंकित नहीं किया गया है ।

5- प्रस्ताव में चैकलिस्ट संख्या-8 व 9 से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं ।

6- प्रस्ताव में ई0टी0पी0 की वचनबद्धता संलग्न नहीं की गयी है ।

7- प्रस्ताव में कम से कम वृक्षों के पातन के संबंध में वचनबद्धता संलग्न नहीं है ।

8- प्रस्ताव में जिलाधिकारी का सरलीकृत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।

9- भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-29.04.2022 के क्रम में अनुपालन आख्या संलग्न नहीं है ।

अतः आप अपने कार्यालय के किसी सुभिज्ञ कर्मचारी / अधिकारी को नामित करते हुए प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त कराकर प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथा शीघ्र इस कार्यालय को ताकि प्रस्ताव को ससमय उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें ।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या 4860/14-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संयुक्त निरीक्षण हेतु अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सम्पर्क स्थापित किये जाने पर प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में अपनी रेंज के अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल-2.0 हे0 अवनत वन भूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेटस एवं क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित, अपनी आख्या के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर